न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 20 / 2024
जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 120

1. हर्षकिरण पुत्री हरविन्द्र सिंह पत्नी मनदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 62 जीबी ए तहसील अनूपगढ़ हाल फलैट नं. 400, जीएफ ड्रीम सिटी, मानावाला अमृतसर(पंजाब) **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अमरदीप कौर पुत्री अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी 62 जीबी ए तहसील अनूपगढ़ (पत्र व्यवहार का पता अमरदीप कौरी पुत्री अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी लैसरीवाल पो.ओ. अदामपुर जिला जलंधर, पंजाब)
2. गुरनूर सिंह पुत्र हरविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 62 जीबी ए तहसील अनूपगढ़
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार(भू.अ.) अनूपगढ़ **–प्रत्यर्थीगण**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

1. श्री इन्द्राज कस्बां, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री रविन्द्र बलाना, श्री रजत चुघ, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1 से 2
3. राजपैरोकार, प्रत्यर्थी सं. 3

प्र.सं. 21 / 2024
जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 121

1. हर्षकिरण पुत्री हरविन्द्र सिंह पत्नी मनदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 62 जीबी ए तहसील अनूपगढ़ हाल फलैट नं. 400, जीएफ ड्रीम सिटी, मानावाला अमृतसर(पंजाब) **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अमरदीप कौर पुत्री अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी 62 जीबी ए तहसील अनूपगढ़ (पत्र व्यवहार का पता अमरदीप कौरी पुत्री अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी लैसरीवाल पो.ओ. अदामपुर जिला जलंधर, पंजाब)
2. गुरनूर सिंह पुत्र हरविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 62 जीबी ए तहसील अनूपगढ़
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार(भू.अ.) अनूपगढ़ **–प्रत्यर्थीगण**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

1. श्री इन्द्राज कस्बां, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री रविन्द्र बलाना, श्री रजत चुघ, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1 से 2
3. राजपैरोकार, प्रत्यर्थी सं. 3

प्र.सं. 22 / 2024
जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 122

1. हर्षकिरण पुत्री हरविन्द्र सिंह पत्नी मनदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 62 जीबी ए तहसील अनूपगढ़ हाल फलैट नं. 400, जीएफ ड्रीम सिटी, मानावाला अमृतसर(पंजाब) **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अमरदीप कौर पुत्री अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी 62 जीबी ए तहसील अनूपगढ़ (पत्र व्यवहार का पता अमरदीप कौरी पुत्री अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी लैसरीवाल पो.ओ. अदामपुर जिला जलंधर, पंजाब)
2. गुरनूर सिंह पुत्र हरविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 62 जीबी ए तहसील अनूपगढ़
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार(भू.अ.) अनूपगढ़ **–प्रत्यर्थीगण**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

1. श्री इन्द्राज कस्बां, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री रविन्द्र बलाना, श्री रजत चुघ, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1 से 2
3. राजपैरोकार, प्रत्यर्थी सं. 3

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 27.11.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. उपर्युक्त तीनों अपील प्रकरण समान पक्षकारों के मध्य एक ही प्रकार के तथ्यों पर आधारित एवं एक ही प्रकृति के अनुतोष पर आधारित होने के कारण तीनों प्रकरणों को एक साथ एक ही निर्णय से निस्तारित किया जा रहा है।
2. अपीलार्थी के द्वारा अपील सं. 20/24 तहसीलदार अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 18.05.2018 जिसके द्वारा अपीलाधीन भूमि चक 62 जीबी ए के मु.नं. 250/448 (2) की कुल 0.253है., मु.नं. 249/450(11) की कुल 5.174है., मु.नं. 247/450(13) की 6.200है. कुल 11.374है. नहरी का विरास्तन आधार पर नामान्तरकरण सं. 145 अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 के पक्ष में स्वीकृत किया गया है तथा इसके पश्चातवर्ती नामान्तरण सं. 147 दिनांक 19.02.2019, नामान्तरण सं. 174 दिनांक 21.02.2023 व नामान्तरण सं. 175 दिनांक 20.07.2023 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रस्तुत की गयी है।

   अपील सं. 21/24 तहसीलदार अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 08.05.2018 जिसके द्वारा अपीलाधीन भूमि चक 62 जीबी ए के मु.नं. 250/449 (5) की कुल 3.795है. नहरी मय खाला व मु.नं. 244/450(16) की कुल 2.062है. बाग का विरास्तन आधार पर नामान्तरकरण सं. 144 अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 के पक्ष में स्वीकृत किया गया है के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रस्तुत की गयी है।

   अपील सं. 22/24 तहसीलदार अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 07.05.2018 जिसके द्वारा अपीलाधीन भूमि चक 59 जीबी के मु.नं. 237/449 (69) की कुल 1.519है. नहरी का विरास्तन आधार पर नामान्तरकरण सं. 591 अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 के पक्ष में स्वीकृत किया गया है के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलें मियाद बिन्दू पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गयी एवं प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधित अभिलेख तलब किया गया। प्रत्यर्थीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए। जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश किया। उपर्युक्त अपील प्रकरणों में अपीलार्थी की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किये गये थे जो निस्तारण से शेष है चूंकि मूल अपील प्रकरणों का निर्णय किया जा रहा है इसलिए स्थगन प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से तीनों अपील प्रकरणों में प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किये जाते है।

4. अपील सं. 20/24, 21/24 व 22/24 में आलौच्य आदेश क्रमशः दिनांक 18.05.2018, दिनांक 08.05.2018 व दिनांक 07.05.2018 के है जिनके विरूद्ध अपीलार्थी के द्वारा क्रमशः दिनांक 29.05.2024, दिनांक 17.05.2024 व दिनांक 13.05.2024 को हस्तगत अपीलें पेश की गयी है। चूंकि अपीलें आलौच्य आदेश के 6 वर्ष की अवधि पश्चात पेश की गयी है ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित है। उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गयी।

5. अधिवक्ता अपीलार्थी अपनी बहस में कथन किया कि अपील प्रकरणों में वर्णित अपीलाधीन भूमि अपीलार्थी के पिता के नाम से थी, प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 क्रमशः अपीलार्थी की माता व भाई है। अपीलार्थी के माता व पिता की नहीं बनती थी जिस कारण माता व पिता के तालाक की डिक्री मा. न्यायालय जिला न्यायाधीश जलंधर द्वारा धारा 13 बी हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत आपसी सहमति के आधार पर दिनांक 11.08.2015 को जारी की गयी है। अपीलार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 03.06.2017 को हुई है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत चूंकि अपीलार्थी के पिता की मृत्यु से पहले ही अपीलार्थी के माता पिता का तालाक हो चुका है तथा इसलिए प्रत्यर्थी सं. 1 अपीलार्थी की माता अपीलाधीन भूमि में किसी प्रकार का हक व हिस्सा निहित नहीं होने से प्रत्यर्थी सं. 1 अपीलाधीन भूमि में से हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं थी। इसलिए आलौच्य आदेश विधि विरूद्ध है। जिसे किसी भी समय चुनौति दी जा सकती है। अपीलार्थी का विवाह हो जाने के कारण अपीलार्थी ससुराल में निवास करने से माता पिता के विवाह विच्छेद का ज्ञान नहीं था, प्रत्यर्थी सं. 1 ने तथ्य छिपाते हुए आलौच्य आदेश अपने पक्ष में पारित करवा लिया है जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलार्थीया के द्वारा जानबूझकर अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब नहीं किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपीलों को अन्दर मियाद ग्रहण करते हुए अपीलों को स्वीकार कर आलौच्य आदेश निरस्त करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अपीलार्थी न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2004(2) पेज 758, आरआरटी 2004(1) पेज 374, आरआरटी 2004(2) पेज 969 की छायाप्रतियां प्रस्तुत की।

6. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण अपनी बहस में कथन किया कि माता पिता के विवाह विच्छेद के संबंध में पुत्री अपीलार्थी को ज्ञान न होना स्वीकार योग्य नहीं है, अपीलार्थी को ज्ञान था। संबंध विच्छेद के पश्चात पुनः राजीनामा हो जाने के कारण प्रत्यर्थी सं. 1 व उसके पति साथ–साथ रह रहे थे। अपीलार्थीया को आलौच्य आदेश का भी ज्ञान प्रारम्भ से है। अपीलार्थी के विवाह वर्ष 2017 में भी अपीलार्थी के माता (प्रत्यर्थी सं. 1) व उसके पिता साथ साथ थे। अपीलार्थीया स्वयं के द्वारा अपीलाधीन भूमि की दस्तबरदारी प्रत्यर्थीगण के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीबद्ध करवाई गयी है। अतः अपीलार्थी को आलौच्य आदेश का ज्ञान प्रारम्भ से था। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी क्षमा योग्य नहीं है। और आलौच्य आदेश विधि सम्मत है। अपील पत्र मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज करने हेतु निवेदन किया।

7. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया। निर्णयाधीन अपीलें आलौच्य आदेश के 6 वर्ष की अवधि के पश्चात प्रस्तुत की गयी है। अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया है कि उन्हें अपने माता पिता के विवाह विच्छेद का ज्ञान नहीं था। इसलिए

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

उनके द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है। इसके विपरीत प्रत्यर्थी का कथन है कि प्रत्यर्थी सं. 1 का उनके पति से संबंध विच्छेद हुआ था परन्तु बाद में राजीनामा हो जाने पर एक साथ ही निवास कर रहे थे तथा पुत्री के विवाह के समय भी एक साथ थे। प्रत्यर्थी के द्वारा अपीलार्थी के विवाह का कार्ड एवं फोटोचित्र प्रस्तुत किये है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रति दस्तबरदारी हर्षकिरण कौर बहक अमरदीप कौर–गुरनूर सिंह दिनांक 23.05.2018 जो कि उप पंजीयक अनूपगढ़ से पंजीबद्ध है का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि अपीलार्थी को आलौच्य आदेश का ज्ञान था परन्तु अपीलार्थी के द्वारा निश्चित समयावधि में अपील पेश नहीं की गयी है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। क्योंकि अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में कथन करना कि उसे अपने माता पिता के विवाह विच्छेद के बारे में जानकारी नहीं थी अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु पर्याप्त कारण नहीं है, क्योंकि एक ओर अपीलार्थी स्वंय द्वारा प्रत्यर्थीगण के पक्ष में पंजीबद्ध दस्तबरदारी निष्पादित की गयी है। अपीलार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज योग्य है। अतः तीनों अपील प्रकरणों में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाता है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सं. 20/24, 21/24 व 22/22 मियाद बाहर होने के कारण अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की एक एक प्रति तीनों प्रकरणों में संलग्न की जावे। अपील सं. 21/24 व 22/24 अपील सं. 20/24 के संलग्न रहे। अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 27.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर R.A.S
अनूपगढ़
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)